कार्यालय– मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

पत्रांक : शिविर(बे0)/ 372 /नवीनीकरण/2023–24/ दिनांक 27 जुलाई, 2023

सेवा में,

अध्यक्ष /व्यवस्थापक/प्रबन्धक,
दून वैली इन्टरेनशनल स्कूल
ठाकुरपूर प्रेमनगर, देहरादून।

विषय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19(2) के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार(संशोधन) नियमावली, 2013 के नियम 17(क) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्गत करने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध स्वघोषणा पत्र दिनांक 06.02.2023 के क्रम में आपके विद्यालय दून वैली इन्टरेनशनल स्कूल ठाकुरपूर प्रेमनगर, देहरादून को प्री प्राइमरी से कक्षा–8(अग्रेजी माध्यम 03वर्ष तक) तक अधिनियम की धारा–19(2) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची मे निर्धारित मानक एवं मानदण्डो को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। जनपद देहरादून में आपके विद्यालय के पंजीकरण की संख्या 181 है। भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उल्लघन दृष्टिगोचर होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम–18 के अनुसार विद्यालय की मान्यता/अनापत्ति प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी। पूर्व आर0टी0ई0 मान्यता शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय

(प्रदीप कुमार)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून।

पृ0सं0 शिविर(बे0)/ 414-50 /नवीनीकरण/2023–24 तददिनॉक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौडी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0), देहरादून।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि आर0टी0ई0 नियमावली, 2011 के अनुसार आप विद्यालय निरीक्षकर्ता अधिकारी हैं, अतः अधिनियम एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालयो का संचालन कराना सुनिश्चित करे, साथ ही समस्त विद्यालयो से समय–समय पर पूर्ण सूचनाएं विवरण प्राप्त कर पत्रावली म सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पडने पर सूचनाएं आपके माध्यम से प्राप्त की जा सकें और विद्यालयों का सतत निरीक्षण करते रहें।
5. सम्बन्धित प्रबन्धक/व्यवस्थापक/प्रधानाचार्य ।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून।

Scanned with CamScanner